

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-5) विभाग

क्रमांक : 15(13)/का/क-5/2018

जयपुर, दिनांक - 11/6/2018

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्र. शासन सचिव/
शासन सचिव, वि. शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर

विषय :- प्रथम राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता 2018-19
तथा द्वितीय राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा बैडमिंटन प्रतियोगिता
2018-19 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि कार्मिक विभाग के तत्वाधान में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के माध्यम से प्रथम राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता 2018-19 तथा द्वितीय राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा बैडमिंटन प्रतियोगिता 2018-19 का चित्तौड़गढ़ जिले में दिनांक 1.09.2018 से 3.09.2018 तक आयोजन कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में शासन सचिवालय, जयपुर एवं जयपुर स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारियों की टीम जयपुर मुख्यालय के नाम से भाग लेगी। उक्त प्रतियोगिता में जयपुर मुख्यालय की टीम से भाग लेने के इच्छुक राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों से टेनिस एवं बैडमिंटन की टीमों के लिए एन्ट्री एकत्रित की जानी है।

यदि आपके अधीन पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हो तो कृपया दिनांक 5.07.2018 तक उनका आवेदन पत्र (प्रशासनिक अधिकारी से अप्रेषित कराकर) निम्न प्रारूप में खेल अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को email address : aicsraj@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करावें :-

प्रतियोगिता का नाम :-


क्र. सं.	खेल का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id

इस संबंध में यह भी उल्लेख है कि निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे :-


1. निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी,
2. ठेका श्रमिक
3. संविदा अधिकारी/कर्मचारी
4. कार्यप्रभारित अधिकारी/कर्मचारी
5. पुलिस विभाग के बैल्टधारी अधिकारी/कर्मचारी

संलग्न : दिशा-निर्देश

भवदीय


(बृज सुन्दर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर न्यूज बोर्ड पर अपलोड/डिस्प्ले कराने का श्रम करावें।


(कैलाश चन्द्र)
सहायक शासन सचिव

प्रथम राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता तथा द्वितीय राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा बैडमिंटन प्रतियोगिता हेतु दिशा-निर्देश

- प्रतियोगिता का नाम, अवधि तथा स्थान :-** इस प्रतियोगिता का नाम प्रथम राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता तथा द्वितीय राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा बैडमिंटन प्रतियोगिता 2018-19 होगा। यह प्रतियोगिता दिनांक 1.09.2018 से 3.09.2018 तक चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित कराई जायेगी।
- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम :-** राज्य के 33 जिलों की 33 टीम एवं 34वीं टीम जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय, जयपुर एवं जयपुर स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी) की निम्न प्रकार से होगी :-

क्र.सं.	टीम का नाम	क्र.सं.	टीम का नाम
1	अजमेर	36	जालौर
2	असवर	37	झालावाड़
3	बांसवाड़ा	38	झुंझुनू
4	बाड़मेर	39	जोधपुर
5	बारा	40	करौली
6	भरतपुर	41	कोटा
7	भीलवाड़ा	42	नागौर
8	बीकानेर	43	पाली
9	बूंदी	44	राजसमंद
10	चित्तौड़गढ़	45	सवाईमाधोपुर
11	धरू	46	सीकर
12	दौसा	47	सिरोही
13	धीलपुर	48	श्रीगंगानगर
14	झुंझुनू	49	टांक
15	जयपुर	50	उदयपुर
16	जयपुर	51	प्रतापगढ़
17	जयपुर	52	जयपुर मुख्यालय

3. खेलवार खिलाड़ियों की संख्या :-

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	खिलाड़ियों की संख्या	खिलाड़ियों की कुल संख्या
1.	1st Rajasthan State Inter District Services Tennis Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 man (5+2 Veterans) and 4 women)	11 x 34 = 374
2.	2nd Rajasthan State Inter District Services Badminton Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 man (5+2 Veterans) and 4 women)	11 x 34 = 374
कुल खिलाड़ी			748

4. टीमों का फ्लेग एवं किट (खेल पोशाक) का रंग :-

- जिले की टीमों को अपने जिले की टीम के ध्वज एवं निर्धारित किट (खेल पोशाक) के साथ ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायेगा।
- खेल पोशाक पर टीम का नाम एवं टी-शर्ट/वनियान पर खेल नियमानुसार चेस्ट नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
- सभी टीम के प्रतिभागियों को निर्धारित किट (फुल ट्रेक शूट, नेकर एवं टी-शर्ट/वनियान) एवं फ्लेग आयोजनकर्ता (संबंधित जिला कलक्टर) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. प्रतियोगिता (इवेंट) का निरस्तीकरण :-

- टेनिस एवं बैडमिंटन में पर्याप्त एवं स्वस्थ परिस्थि प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खेल के इवेंट को निरस्त करने का अंतिम निर्णय आयोजन समिति के अध्यक्ष का होगा।
- महिलाओं की श्रेणी में कम से कम 4 एन्ट्री प्राप्त होने पर ही प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।

6. प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता :- राजकीय विभागों में नियमित रूप से नियुक्त सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पात्र होंगे।

7/2/18

7. **प्रतियोगिता में भाग लेने की अपात्रता :-** निम्ना/गण्डलो/स्वायत्ताशासी संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी, तनिक पेतन भोगी कर्मचारी, ठेका श्रमिक सविदा अधिकारी/कर्मचारी, कार्यप्रभारित अधिकारी/कर्मचारी पुलिस विभाग के वेटधारी अधिकारी/कर्मचारी अपात्र होंगे।

8. **प्रतियोगिता का प्रचार-प्रसार :-** संबंधित जिला कलक्टर/संबंधित विभागों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए की गई कार्यवाही का पत्र/आदेश की प्रति शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जायेगी तथा समाचार पत्र/SMS/e-mail/whatsapp के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

9. **टीम हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-**

• जिलों की टीम के चयन हेतु :- संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अपने जिले की टीम के चयन ट्रायल के लिए खिलाड़ी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारियों के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :-

कर्म	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल	e-mail id
------	------------	-----	-------	-------	--------	-----------

• जयपुर मुख्यालय की टीम के चयन हेतु : जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय, जयपुर एवं जयपुर स्थिति विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी) की टीम के चयन ट्रायल के लिए शासन उप सचिव कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर खिलाड़ी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारियों के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :-

कर्म	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल	e-mail id
------	------------	-----	-------	-------	--------	-----------

• विभाग द्वारा किसी खिलाड़ी अधिकारी/कर्मचारी को रिलीव नहीं करने का निर्धारित समय पर स्पष्ट कारण सहित पूर्ण सूचना भिजवानी होगी।

• यदि कर्मचारी/अधिकारी स्वयं विभागाध्यक्ष है, तो प्रशासनिक विभाग को भी प्रति भिजवानी होगी।

• प्रत्येक प्रतियोगी को अपने नियंत्रणाधीन अधिकारी से नवीन पासपोर्ट साईज के फोटो युक्त परिचय पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगी को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

• आवेदन पत्रों का संकलन :- संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा अपने जिले की टीम के चयन ट्रायल के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना खेलवार संकलित कर शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उक्त प्रारूप में भिजवाई जायेगी।

• चयनित टीम की सूचना :- संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा अपने जिले की टीम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार उपस्थित खिलाड़ियों में से टीम का चयन कर सूचना निम्न प्रारूपानुसार प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता को भिजवाते हुये प्रतिलिपी शासन उप सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जायेगी :-

- प्रतियोगिता का नाम
- टीम का नाम
- खेल का नाम
- चयन ट्रायल का स्थान
- चयन किये जाने खिलाड़ियों का जख्या
- चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्न प्रारूपानुसार

कर्म	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल	e-mail id
------	------------	-----	-------	-------	--------	-----------

➤ हस्ताक्षर चयनकर्ता (नाम मय पदनाम)

• रिजल्ट शीट :- खेल में चयन हेतु तैयार की गई रिजल्ट शीट भी भेजी जावे।

10. **प्रतियोगिता का प्रारूप :-**

- प्रतियोगिता में किसी भी टीम के निर्धारित समय से 15 मिनट पश्चात् तक भी प्रतियोगिता स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में उपस्थिति विपक्षी टीम को वॉकआउट देकर विजेता घोषित कर दिया जायेगा।
- यदि किसी प्रतियोगी को रैफरी के निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वह मैच समाप्त होने के आधा घण्टे के भीतर रु. 500/- जमा कराकर प्रोटेस्ट कर सकता है।
- प्रोटेस्ट पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- सभी खिलाड़ियों को खेल के दौरान अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा खेल सद्भावना एवं खेल भावना के साथ खेलना होगा।
- खेल के दौरान अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से रैफरी के द्वारा बाहर किया जा सकता है।
- अनुशासनहीनता की अपील बाद में आयोजन समिति को आधे घण्टे में करनी होगी, जिस पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- कर्मचारी/अधिकारी एक खेल में ही भाग ले सकेंगे। दो खेलों में भाग लेने पर संबंधित टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

11. खेल के नियम :-

- प्रतियोगिताये वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर आयोजित की जायेगी।
- प्रतियोगिता के दौरान रैफरी का नियम अंतिम होगा।
- सभी मैच नौक आउट आधार पर खेले जायेंगे।
- प्रतियोगिता टीम स्पर्धा के रूप में आयोजित की जायेगी।
- सभी मैच बेस्ट ऑफ थ्री के फॉर्मेट में आयोजित किये जायेंगे। प्रथम मैच पुरुष डबल, द्वितीय मैच वेटरन (45 वर्ष से उपर) डबल, तृतीय मैच पुरुष सिंगल का होगा।
- केवल एक खिलाड़ी अधिकतम दो मैचों में भाग ले सकेगा।


12. राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा :- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मिकों को ऑन ड्यूटी माना जायेगा एवं नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।

13. प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग :-

- रैफरी को रु. 300/- प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जायेगा।
- प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए क्वालीफाइड रैफरी संबंधित स्थानीय संघ/शिक्षा विभाग से लिये जायेंगे।
- आयोजनकर्ता के सहयोग हेतु खेल अधिकारी, कर्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहेंगे।

14. आयोजनकर्ता के कार्य :-

- उद्घाटन एवं समापन समारोह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता अवधि एवं समारोह के लिए टेंट/गाईक आदि की व्यवस्था।
- प्रमाण-पत्र पुरस्कार (रनर एवं विनर) एवं स्मृति चिन्ह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता के संचालन, मैदान एवं खेल उपकरणों की व्यवस्था।
- टीमों के आवास व्यवस्था आदि।
- अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य।
- प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने पर अंतिम निर्णय आयोजनकर्ता का होगा।
- प्रतियोगिता आयोजनकर्ता प्रतियोगिता की प्रगति रिपोर्ट मान. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।


(बृज सुन्दर शर्मा)
शासन उप सचिव

